दां.प्रकी.(जमा.) 4278/2004

06.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री पी.एन.मोहनानी,
जन अभियोजक श्री रामेश्वर दवे,
मुस्तगीस के अधिवक्ता श्री संजय माथुर, उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि इस प्रकरण में अन्य सहअभियुक्तगण जमानत पर हैं, गणपत राम के द्वारा दांतली की घातक चोट पहुंचाना बताया गया है। परमाराम, रामूराम, नरसाराम एवं पूसाराम के विरूद्ध धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत प्रसंज्ञान लिए जाने के बाद तलब किया गया था। अन्य अभियुक्तगण जमानत पर आजाद है, अत: अभियुक्त-प्रार्थी को भी जमानत पर रिहा किया जावे वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा न फरार होगा।

योग्य जन अभियोजक एवं योग्य अभिभाषक मुस्तगीस ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। चूंकि अन्य सहअभियुक्तगण जमानत पर आजाद हैं और इस अभियुक्त द्वारा कोई घातक चोट नहीं पहुंचाई गई है, बिना गुणावगुण पर राय दिए अभियुक्त-प्रार्थी पूसाराम को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी पूसाराम पुत्र माधुराम योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा